

कर सुधार और व्यापारिक वातावरण: जीएसटी की भूमिका और कानूनी ढांचा

आशीष कुमार पचौरी

सहायक प्राध्यापक

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है और "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा को मूर्त रूप देती है। यह कर सुधार व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सरलता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस शोध पत्र में जीएसटी के कानूनी ढांचे, उसके प्रभाव, चुनौतियों, और व्यापारिक वातावरण में आए परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि किस प्रकार यह कर प्रणाली भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित और प्रतिस्पर्धी बनाने में योगदान कर रही है।

बीज शब्द

GST, कर सुधार, व्यापारिक वातावरण, अप्रत्यक्ष कर, कानूनी ढांचा, कर सरलीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भारत में कर व्यवस्था का इतिहास अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय रहा है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश शुल्क आदि लगाती थीं। इससे व्यापारिक जगत में भ्रम, अनावश्यक कर भार और अनुपालन की जटिलता उत्पन्न होती थी। अंतरराज्यीय व्यापार में भी कर संरचनाओं की असमानता के कारण बाधाएँ उत्पन्न होती थीं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश और विकास की गति बाधित होती थी।

भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जीएसटी एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे 122वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। इससे पहले भारत की कर व्यवस्था जटिल और विविधतापूर्ण थी, जिसमें केंद्र और राज्य अलग-अलग प्रकार के कर वसूलते थे। व्यापारिक समुदाय को बहुस्तरीय करों, कर अपवंचन, और प्रक्रिया जटिलता से जूझना पड़ता था। जीएसटी ने इस विखंडित कर व्यवस्था को समाप्त कर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की अवधारणा को साकार किया। ऐसे परिदृश्य में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को एक "एकीकृत कर प्रणाली" के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह न केवल कर सरलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, बल्कि भारत को एक "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" की अवधारणा की ओर ले जाने वाली प्रमुख आर्थिक सुधार नीति भी सिद्ध हुई। 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए इस कर ने केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 17 विभिन्न करों और उपकरों को समाहित करते हुए एक बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर प्रणाली की नींव रखी।

जीएसटी के कार्यान्वयन से न केवल कर ढांचे में पारदर्शिता आई, बल्कि व्यापारिक प्रक्रियाएँ सरल हुईं और कर चोरी की संभावनाएँ भी घटीं। डिजिटल प्लेटफार्म पर आधारित यह प्रणाली ई-वे बिल, इनवॉइसिंग, GSTR दाखिला, और ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से एक नई कर संस्कृति को बढ़ावा देती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारिक वातावरण पर पड़ा, जहाँ व्यापार करना अधिक सुगम और प्रतिस्पर्धी हो गया। जीएसटी का कानूनी ढांचा विभिन्न अधिनियमों जैसे CGST Act, SGST Act, IGST Act और UTGST Act पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी परिषद (GST Council) नीतिगत निर्णयों का सर्वोच्च निकाय है। इस कर प्रणाली का उद्देश्य कर आधार का विस्तार, राजस्व संग्रह में वृद्धि, और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करना है। यह शोध पत्र इस प्रक्रिया की कानूनी, व्यावहारिक और व्यापारिक दृष्टि से गहराई से पड़ताल करता है।

हालाँकि जीएसटी ने अनेक सकारात्मक बदलाव लाए, फिर भी इसके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी सामने आईं—जैसे कि छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल प्रणाली की जटिलता, प्रारंभिक वर्षों में पोर्टल की तकनीकी बाधाएँ, रिफंड में विलंब, तथा ट्रिब्यूनल की

अनुपलब्धता। इन चुनौतियों के बावजूद जीएसटी भारत के व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक सुचारू, पारदर्शी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह शोध पत्र इसी व्यापक पृष्ठभूमि में जीएसटी के कानूनी ढांचे, उसके कार्यान्वयन, व्यापारिक प्रभावों तथा सुधारात्मक संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे यह समझने में सहायता मिले कि कर सुधारों के माध्यम से किस प्रकार भारत का व्यावसायिक भविष्य पुनःपरिभाषित हो रहा है।

शोध विधि

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, संसद में प्रस्तुत विधेयकों, न्यायिक निर्णयों, समाचार लेखों, विशेषज्ञ रिपोर्टों और शोध पत्रों का उपयोग किया गया है। आंकड़ों का संग्रह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग (CBIC), वाणिज्य मंत्रालय और विश्व बैंक की रिपोर्ट्स से किया गया है।

शोध विस्तार

जीएसटी की प्रभावशीलता को समझने के लिए आवश्यक है कि उसके विधानिक ढांचे, व्यवसाय पर प्रभाव, व्यवहारिक चुनौतियाँ, तथा संभावित सुधारों का सम्यक विश्लेषण किया जाए।

1. जीएसटी की अवधारणा और उद्देश्य

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक गंतव्य आधारित, मूल्य संवर्धन पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है। इसका मूल उद्देश्य था - भारत के विखंडित कर ढांचे को समाप्त कर एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली लागू करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं -

1. बहुस्तरीय कर प्रणाली का समापन
2. व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाना
3. कर अपवंचन में कमी लाना
4. राजस्व संग्रह में वृद्धि
5. आर्थिक एकीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

2. जीएसटी का विधिक एवं संस्थागत ढांचा

(a) संवैधानिक प्रावधान

101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जीएसटी को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई। केंद्र और राज्यों को समवर्ती कराधिकार मिला।

(b) प्रमुख अधिनियम

1. CGST Act, 2017: केंद्र सरकार द्वारा कर वसूली के लिए।
2. SGST Act, 2017: राज्य सरकारों द्वारा कर वसूली के लिए।
3. IGST Act, 2017: अंतरराज्यीय लेन-देन पर।
4. UTGST Act, 2017: केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।

(c) जीएसटी परिषद (GST Council)

1. केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से युक्त।
2. दर निर्धारण, छूट, सुधार, तकनीकी निर्णयों की अनुशंसा करता है।

3. जीएसटी और व्यापारिक वातावरण पर प्रभाव

(a) सकारात्मक प्रभाव

1. एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना: राज्य सीमाओं पर करों की बाधा समाप्त हुई।
2. लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: ई-वे बिल प्रणाली से ट्रांसपोर्टेशन सरल हुआ।
3. आईटी आधारित अनुपालन: जीएसटीएन (GST Network) के माध्यम से डिजिटल फाइलिंग संभव हुई।
4. कर संग्रह में वृद्धि: पारदर्शिता से राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि देखी गई।
5. विदेशी निवेश आकर्षण: वैश्विक कंपनियों के लिए कर ढांचा अधिक स्पष्ट और अनुकूल बना।

(b) नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ

1. MSME सेक्टर के लिए जटिलता: छोटे कारोबारियों के लिए तकनीकी प्रणाली समझना कठिन।
2. इनवॉइस मिलान में त्रुटियाँ: ITC क्लेम में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
3. रिफंड प्रक्रिया में देरी: निर्यातकों को समय पर रिफंड नहीं मिलना एक प्रमुख समस्या।
4. GST ट्रिब्यूनल की अनुपलब्धता: विवाद निवारण की प्रणाली अधूरी।

4. जीएसटी और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'

जीएसटी के लागू होने के पश्चात भारत ने "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में उल्लेखनीय प्रगति की। विश्व बैंक की "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में जीएसटी लागू होने के बाद सकारात्मक सुधार देखने को मिला। इसके कारण घरेलू और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, भारत 63वें स्थान पर पहुंचा जो 2014 में 142वें स्थान पर था। जीएसटी की सिंगल विंडो प्रणाली और इनवॉइस मिलान से कर अनुपालन सरल हुआ।

5. न्यायिक परिप्रेक्ष्य

Mohit Minerals Pvt. Ltd. v. UOI (2022): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं, बल्कि सलाहकारी होती हैं। जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना में विलंब के कारण व्यापारिक विवादों का न्यायिक समाधान बाधित हो रहा है। Canon India Pvt. Ltd. Case: कर अधिकारियों की अधिकार-सीमा और प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया।

6. सुधारात्मक सुझाव

1. GST ट्रिब्यूनल की त्वरित स्थापना: जिससे कर विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो सके।
2. MSME के लिए अनुपालन सरलीकरण: मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही व्यवस्था को बढ़ावा देना।
3. IT सिस्टम की मज़बूती: पोर्टल की क्षमता बढ़ाना व तकनीकी त्रुटियों को कम करना।

4. रिफंड प्रक्रिया में स्वचालन: निर्यातकों को समय पर रिफंड सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी सुधार है, जिसने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक समेकित, पारदर्शी और दक्ष प्रणाली में रूपांतरित कर दिया। यह न केवल एक कर सुधार है, बल्कि एक व्यापक आर्थिक रणनीति भी है, जिसका उद्देश्य भारत को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में रूपांतरित करना, व्यापार को सरल बनाना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। जीएसटी के लागू होने से पहले भारत में कर ढांचा अत्यधिक जटिल, बहुस्तरीय और क्षेत्रीय असमानताओं से ग्रस्त था। व्यापारियों को कई करों का बोझ उठाना पड़ता था, जिससे न केवल अनुपालन कठिन था, बल्कि उत्पादन लागत भी बढ़ती थी। जीएसटी ने इन समस्याओं का समाधान कर एक समान कर व्यवस्था लागू की, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक सुगम और प्रतिस्पर्धी बनीं। जीएसटी ने लॉजिस्टिक्स में सुधार, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में बाधाओं को समाप्त करने, और डिजिटल अनुपालन प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार व कर अपवंचन को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र व राज्य सरकारों का कर संग्रह भी बढ़ा है, जो आर्थिक स्थायित्व का संकेत है।

हालाँकि, इस प्रणाली के प्रारंभिक वर्षों में कुछ व्यवहारिक चुनौतियाँ सामने आईं – जैसे MSME क्षेत्र के लिए अनुपालन की जटिलता, तकनीकी समस्याएँ, रिफंड प्रक्रियाओं में देरी, और विवाद निपटान तंत्र की सीमाएँ। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने इन समस्याओं को पहचानते हुए जीएसटी परिषद के माध्यम से समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे प्रणाली की सक्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। न्यायपालिका ने भी यह स्पष्ट किया है कि जीएसटी परिषद की भूमिका मार्गदर्शक है, जिससे संघीय ढाँचे में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। अब आवश्यकता है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना, MSME अनुकूल सुधार, तकनीकी सुदृढीकरण, और करदाताओं के लिए अधिक स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से इस प्रणाली को और सशक्त बनाया जाए। अतः जीएसटी न केवल एक कर प्रणाली है, बल्कि यह

भारत की आर्थिक और व्यापारिक संरचना में पारदर्शिता, सरलीकरण और एकरूपता लाने वाला एक सशक्त माध्यम भी सिद्ध हुआ है। भविष्य में इसके निरंतर सुधार और कुशल प्रबंधन के माध्यम से भारत वैश्विक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में और अधिक सशक्त रूप से उभर सकता है।

संदर्भ

1. The Constitution (101st Amendment) Act, 2016
2. CGST Act, 2017; IGST Act, 2017; SGST/UTGST Act, 2017
3. GST Council Website - <https://www.gstcouncil.gov.in>
4. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) Reports
5. World Bank: Ease of Doing Business Reports
6. Ministry of Finance - GST Revenue Reports
7. Supreme Court Judgments - Mohit Minerals Pvt. Ltd. v. UOI (2022)
8. Economic Survey of India - विभिन्न वर्ष
9. इंडिया टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू आदि में प्रकाशित लेख
10. विभिन्न शोध पत्र - Journal of Tax Research, EPW आदि